



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042020-219061
CG-DL-E-16042020-219061

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1118]
No. 1118]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2020/चैत्र 27, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2020/CHAITRA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2020

का.आ. 1260(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, अधिसूचना का.आ. 1225(अ) दिनांक 28 मार्च 2020 के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, मटर की प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नलिखित मात्रा अधिसूचित करती है -

एन्क्रिजम कोड	मद विवरण	वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए कोटा (मीट्रिक टन)
0713 10 10	पीली मटर	0 (शून्य)
0713 10 20	हरी मटर	75000
0713 10 90	अन्य	75000

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14/3/2018-ईपी(एग्री-III)(pt.)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, सयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. संख्या 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 28 मार्च, 2020 भारत के राजपत्र असाधारण के का.आ. संख्या 1225(अ) के तहत अधिसूचना संख्या 14/3/2018-ईपी(एग्री-III)(pt.) दिनांक 28 मार्च, 2020 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2020

S.O. 1260(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government, in pursuance to the Notification S.O. 1225(E) dated 28th March, 2020, hereby notifies the quantity of each category of peas, for fiscal year 2020–2021, as under:

Exim Code	Item Description	Quota (in MTs)
0713 10 10	Yellow Peas	0 (zero)
0713 10 20	Green Peas	75,000
0713 10 90	Other	75,000

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. 14/3/2018-EP (Agri.III) (pt.)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended *vide* notification published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 1225(E), dated the 28th March, 2020.